उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2
संख्याः 327 /II(2)/2025-06(40)/2024
देहरादून, दिनांकः 05 मई, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद देहरादून के अंतर्गत रिस्पना नदी के तटों पर शिखर फॉल से मोथरोवाला संगम तक पूर्व में जारी अधिसूचना संख्याः 941/I(2)/2024–06(40)/2024, दिनांकः 07.10.2024 में संलग्न प्रतिषिद्ध/निर्बन्धित क्षेत्रों की अनुसूची 01 और 02 में निर्दिष्ट क्षेत्रों को बाढ़ मैदान परिक्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत् कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्:–

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1.	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु, ऐलिवेटेड रोड कॉरिडोर के लिए नींव एवं उपसंरचना आदि से सम्बन्धित निर्माण/गतिविधियां : "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, जिससे कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"
2.	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में निर्माण/गतिविधियॉ और समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई/स्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र/परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा। इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च बाढ़ तल (High Flood Level)से भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल (Plinth Level) 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा : "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, जिससे कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

क्रमशः...2

कार्यालय मु० अभि० (उत्तराखण्ड)
नियोजन अनुभाग, देहरादून
प्राप्ति संख्या 2801
दिनांक 14/5/25

संख्या: 327 /II(2)/2025-06(40)/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, वन/शहरी विकास/राजस्व/आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढवाल।
3. जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी, देहरादून।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून
5. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक साफ्ट कापी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC हरिद्वार की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।

SSO(P)
9/5

प्रमुख अभियन्ता
(सिंचाई)

JE(T)
14/05
SSO(P)
13/5

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(नियोजन अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- 2801 / प्र० अ० / सिं० वि० / नि० अनु० / F.P.2 / दि-15.5.25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(I) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।

(II) अधीक्षण अभियन्ता जल विज्ञान मण्डल रुड़की।

(III) श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव जी मुख्य अभियन्ता, नोडल अधिकारी N.G.T.

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नियोजन)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून
15.5.25

Intranet (E)
SE जल विज्ञान HWCE
Model ... को प्रेषित
17/5

IT Cell
को website पे प्रकाशित करें
19/5

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the 'Constitution of India', The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notifiction no. 327 dated 05 May, 2025 for general information.

Government of Uttarakhand
Irrigation and Flood Control Section-02
File no- 327 /II(2)/2025-06(40)/2024
Dehradun, Dated 05 May, 2025

Notification

In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (Uttarakhand Act. No 07 of 2013) the Governor is pleased to allow to sanction of following work execution in these area with declaration flood plain zoning to the mentioned area annexed schedule 1 and 2 of Prohibited/ Restricted areas of the previous notification no- 941/II(2)/2025-06(40)/2024, Dated- 07 October, 2024 from Shikhar Fall to the Mothrowala Sangam, banks of Rispana river of district Dehradun, namely:-

S.No.	Area	Details of Permissible Works
1.	Prohibited Area	Construction/activities regarding embankment/ flood management, mining, plantation, agriculture, construction of bathing ghats, river front development, irrigation, drinking water scheme, water sports, water transportation, bridge, foundation and sub-structure for Elevated Road Corridor etc: "Provided that in compliance of the basic spirit of the Act, the State Government may, in particular case, in public interest, by notification in the Official Gazette, grant permission to carry out other works of similar nature along with the above mentioned works, so that the stream/flow of the river shall not be obstructed.
2.	Restricted Area	Construction/activities related to parks, playgrounds, fisheries, agriculture etc. and temprory/permanent constructions for religious fairs held from time to time shall be permitted with the restriction that proper management of sewerage and solid waste generated by the said activities shall be ensured and No Objection Certificate (N.O.C.)/inspection shall be caused to done by the Uttarakhand Peyjal Nigam. Reconstruction of the existing constructions in this area which are in dilapidated condition, with existing land coverage of 35 percent, floor area ratio 1:5 and maximum height of the building is 7.50 meter or upto two floors. shall be permitted with the restriction that sewerage system is available in the area. In case the construction is permitted, the minimum plinth level of the building shall be 1.00 meter from the High Flood Level and the proper management of the sewerage system of the area shall be ensured along with the No Objection Certificate (N.O.C.)/inspection from Uttarakhand Peyjal Nigam will be necessary/required: Provided that in compliance of the basic spirit of the Act, the State Government may, in particular case, in public interest, by notification in the Official Gazette grant permission to carry out other works of similar nature along with the above mentioned works, so that the stream/flow of the river shall not be obstructed.

By Order,

(Dr. R. Rajesh Kumar)
Secretary

Cont....2

File no- 327 /II(2)/2025-06(40)/2024
Copy to-

1. Principal Secretary/ Secretary, Forest/Urban development/ Revenue/ Housing Government of Uttarakhand.
2. Commissioner, Garhwal.
3. D.M. /Flood Plain Zoning Authority, Dehradun.
4. Engineer in Chief, Irrigation Department. Uttarakhand, Dehradun.
5. Chief Engineer/ S.E./Ex.Engineer, Irrigation Department, Dehradun.
6. Director, NIC, Uttarakhand Sectariate, Dehradun with the request that please upload soft copy of this notification on NIC Dehradun site.
7. Joint Director, Government printing Press Roorkee with the request that please publish 100 copies of this notification in Genreal gazette and send it to Government.
8. Guard File.

By Order,

(J.L.Sharma)
Joint Secretary.